न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 29/2016

अपीलांट्स–

1. प्रेमसिंह पुत्र बगतसिंह
2. दीपसिंह पुत्र बगतसिंह

जाति राजपूत निवासी जालीखेड़ा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. उप तहसीलदार सिणधरी
2. खेतसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी जालीखेड़ा
3. सुजानाराम पुत्र वगताराम
4. श्रीमती हकी देवी पत्नी सुजानाराम जाति बिश्नोई निवासी खुडाला, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम जालीखेड़ा के नामान्तरकरण सं. 381 स्वीकृति दिनांक 24.03.2001 जो उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री गंगाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्तागण रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 3व4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

दिनांक : 16/12/2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा जालीखेड़ा के नामान्तरकरण सं. 381 पर उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा जालीखेड़ा के खसरा नम्बर 158, 137, 72/1, 157, 183/1 रकबा क्रमशः 48–03, 56–08, 11–17, 00–10, 16–17 बीघा कुल रकबा 133–15 बीघा भूमि प्रेमसिंह, दीपसिंह पि0 बगतसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व

अपर कलक्टर बाड़मेर

रेकर्ड जम्बंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 72/1 रकबा 11–17 व खसरा नम्बर 183/1 रकबा 16–17 बीघा कुल रकबा 28–14 बीघा भूमि जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 25.09.1990 रेस्पोडेंट सं. 2 खेतसिंह वल्द मोतीसिंह कौम राजपूत साकिन देह के पक्ष में विक्रय एवं सहायक कलक्टर मुख्यावास बाड़मेर के वाद सं. 325, 326/1994 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2001 के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 381 दायर कर उप तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा उक्त नामान्तरकरकरण को दिनांक 24.03.2001 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण्ण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.09.2016 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा नम्बर 72/1 रकबा 11–17 बीघा एवं खसरा नम्बर 183/1 रकबा 16–17 बीघा भूमि जरिये अपीलाधीन नामान्तरकरण राजस्व मण्डल के नियमों, कानूनी प्रावधानों के विपरित एवं मनमाने तरीके से अंतरीत की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार गुड़ामालानी का था तथा रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्यवाही की गई हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विचारण उपरांत ही स्वीकृत किया जाना चाहिए किंतु अपीलांट्स की सुनवाई किये बिना ही न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरित पारित किया गया हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण में सहायक कलक्टर मुख्यावास बाड़मेर के जिस वाद सं. 324/94 व 325/94 का हवाला दिया गया हैं, का अवलोकन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया एवं न ही उल्लेखित बेचान दस्तावेज का भी अवलोकन किया गया है। अपीलांट विवादित खसरान की भूमि के अभिलखीय खातेदार एवं कब्जे काश्तधारी मालिक थे जो पैतृक खातेदारी के रूप मे अपने पिता मुतवफी वगतसिंह पुत्र अगरसिंह की फोतगी पश्चात जरिये नामान्तरकरण खातेदार

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

दर्ज हुए थे। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा अपीलांट्स के पिता को धोखे में रखकर अपीलाधीन नामान्तरकरण में उल्लेखित बेचान दस्तावेज निष्पादित करवाये थे जो फर्जी व कूटरचित थे। अपीलांट के पिता अनपढ़ व अंगुठा छाप व्यक्ति थे जिसका फायदा उठाकर रेस्पोडेंट सं. 2 ने उप पंजियक गुड़ामालानी कार्यालय के कार्मिकों को अनुचित लाभ देकर उक्त बेचान दस्तावेज निष्पादित करवा दिया। यदि रेस्पोडेंट सं. 2 सद्भावी क्रेता था तो उसे बेचान के आधार पर तत्समय ही अपने पक्ष मे नामान्तरकरण दायर करवा लेना चाहिए था किन्तु वह दस साल तक चुपचाप बैठा रहा था तथा अपीलांट्स के फोतगी के समय भरे गये नामान्तरकरण के दौरान भी उक्त विक्रय दस्तावेज पेश नहीं किया। अपीलांट्स के पिता वगतसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी उक्त बेचान के बारे में जिक्र नहीं किया एवं न ही रेस्पोडेंट सं. 2 का मौके पर काश्त–कब्जा रहा है। इसके अलावा सहायक कलक्टर मुख्यावास बाड़मेर के वाद सं. 324/90 व 325/1990 आसूराम वगैरह बनाम वगतसिंह व अन्य बिना किसी आधारों के पेश किये गये जो निर्णय दिनांक 02.09.2001 के द्वारा खारिज किये गये हैं तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण भरने का कोई आधार नही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स अभिलेखीय खातेदारान को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा उक्त विधि विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार पर अपीलांट्स के कब्जा–काश्त में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की तथा जबरन बेदखल करने की धमकियां दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क कर दिनांक 18.08.2016 को नकलें मांगी तब दिनांक 26.08.2016 को बेचान दस्तावेज की नकल बाड़मेर से तथा वाद के निर्णय की नकलें दिनांक 02.09.2016 को राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। इस पर जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 से 16 में विगत लिखी गई हैं कि बेचान दस्तावेज बही संख्या प्रथम जिल्द सं. 23 पेज 2 व 3 क्रम संख्या 424, 425/90 तथा अति0 पुस्तक संख्या प्रथम जिल्द संख्या 45 के पृष्ठ संख्या 5–8, 9–12 दिनांक 25–09–1990 तथा सहायक कलक्टर मुख्यावास बाड़मेर के वाद सं. 325, 326/94 फैसला दिनांक 09.02.2001 के अनुसार खरीददार के हक मे नामान्तरकरण दायर किया गया। इस प्रकार

अपर कलक्टर बाड़मेर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज एवं न्यायालय के निर्णय के आधार पर भरा गया हैं जो वास्तविक रूप से तहसीलदार गुड़ामालानी के क्षेत्राधिकार का था लेकिन जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा जरिये आदेश क्रमांकः 1(23)(1)भूअ/स्था/91/1472 दिनांक 22.04.2000 के द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी एवं उप तहसीलदार सिणधरी के मध्य कार्यक्षेत्र विभाजन के अन्तर्गत ग्राम जालीखेड़ा पटवारी मण्डल खुडाला उप तहसीलदार सिणधरी के क्षेत्राधिकार में रखा गया था तथा इसके अनुसरण में ही अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेंट सं. 1 उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया है। अपीलांट्स के पिता बगतसिंह द्वारा वादग्रस्त दो खसरों की भूमि रेस्पोडेंट सं. 2 के पक्ष में निष्पादित पंजिबद्ध विक्रय पत्र के द्वारा हस्तान्तरित की गई थी किन्तु आसूराम वगैरह द्वारा वादग्रस्त खेतों को लेकर सहायक कलक्टर मुख्यावास बाड़मेर के समक्ष खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिस पर स्थगन दिनांक 05.11.1990 जारी होने से उक्त बेचान का राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दायर नहीं किया जा सका। इसके पश्चात उक्त राजस्व वाद में निर्णय दिनांक 09.02.2001 पारित होकर स्थगन आदेश समाप्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है, जिसकी अपीलांट्स को जानकारी शुरू से ही थी। अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजिबद्ध बेचान के आधार पर भरा गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई हैं। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा उक्त नामान्तरकरण पारित होने के पश्चात भूमि का आगे बेचान रेस्पोडेंट सं. 2 व 4 के पक्ष में दिनांक 27.07.2016 को कर दिया जिससे नाराज होकर अपीलांट्स ने यह अपील आधारहीन तथ्यों पर मयाद बाहर प्रस्तुत की गई हैं जो खारिज योग्य हैं।

6 हमने अधिवक्ता प्रार्थीगंण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा जालीखेड़ा के खसरा नम्बर 72/1 रकबा 11-17 व खसरा नम्बर 183/1 रकबा 16-17 बीघा कुल रकबा 28-14 बीघा भूमि जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 25.09.1990 रेस्पोडेंट सं. 2 खेतसिंह वल्द मोतीसिंह कौम राजपूत साकिन देह के पक्ष में विक्रय के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 381 दायर किया गया हैं। इस विक्रय पत्र के संबंध में अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलांट्स के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे जिन्हे धोखे में रखकर उक्त विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया तथा उनके जीवनकाल में करीब 10 वर्ष तक नामान्तरकरण दायर नहीं करवाया गया। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 ने प्रकट किया कि उक्त विक्रय

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पत्र निष्पादित होने पर आसूराम व अन्य द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि को लेकर सहायक कलक्टर मुख्यावास बाड़मेर के समक्ष राजस्व वाद पेश किये गये जिसमें पारित स्थगन आदेश के कारण तत्समय नामान्तरकरण दायर नहीं कराया जा सका तथा उक्त वाद दिनांक 09.02.2001 को निर्णीत होने के उपरांत ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर किया गया हैं जिसमे विक्रय दस्तावेज के विवरण के साथ–साथ विचारित वादों के निर्णय का भी विवरण उल्लेखित किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स के अधिवक्ता का यह अभिकथन मानने योग्य नहीं हैं कि रेस्पोडेंट सं. 2 ने बेचान दस्तावेज निष्पादित होने के बाद राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु जानबूझकर अनावश्यक विलम्ब किया हैं बल्कि वाद कार्यवाही के विचाराधीन रहने एवं स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण लम्बित हुआ हैं। इसके अलावा जहां तक विक्रय पत्र फर्जी एवं कूटरचित होने का प्रश्न हैं तो इस बारे में विवेचन एवं निश्चय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से नामान्तरकरण अपील की इस सरसरी कार्यवाही में विवेच्य नहीं हैं। जहां कोई नामान्तरकरण किसी पंजिबद्ध दस्तावेज अथवा किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में पारित किया गया हैं, उस दस्तावेज को चुनौती दिये बिना उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण अपास्त करना विधिसम्मत नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजिबद्ध बेचान दस्तावेज के आधार पर भरा गया हैं तथा अपीलांट्स द्वारा इस दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी हैं ऐसे में विधि अनुसार यह नामान्तरकरण अपील चलने योग्य नही होने से खारिज की जाना न्यायोचित प्रतीत होती हैं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं तथा उप तहसीलदार सिणधरी द्वारा ग्राम जालीखेड़ा के नामान्तरकरण सं. 381 में पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 23.04.2001 यथावत बहाल रखा जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)